

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।

सन्मति विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र उभयनाम एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4025

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 244280;
 (कार्यालय)
 2442462 (निवास)
फैक्यस : (0091-0751-2341768
 E-mail :
 jureg_gwl@rediffmail.com
 Website :
<http://www.jiawaji.edu/>

दिनांक : १२.११.११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार द अकादमी ऑफ नर्सिंग साइंसेज एण्ड हास्पीटल, व्हालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के अनुसार की जावे।
 - 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।
 - 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसंस्थिव

प्रति.

- प्राचार्य, अकादमी ऑफ बर्सिंग साइंसेज एण्ड हास्पीटल, आर्यन ०१ कि.मी. स्टेन, वई दुनिया प्रेस के पास, पिपरौली, ग्वालियर
 - सचिव, इण्डियन बर्सिंग कॉसिल, टैम्पल लैन, कोट्ला मार्ग, वई दिल्ली
 - आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 - क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
 - उप-क्लूलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
 - अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहा-कलासंचिव (संस्कृतवाच)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समूल पत्र अध्यहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र अध्यहार कुला से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाते जिससे साविदा हो।



ग्राम : गृहीतीर्थी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५०५७

दिनांक: २५/६/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध द अकादमी ऑफ बर्सिंग साइंसेस एण्ड हॉस्पीटल, ग्वालियर (0751-2437060) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-टी. बर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442828)

(संयोजक)

(2) डॉ. सत्यम जयंत, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

(3) डॉ. जागृती, व्यास, आचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ बर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुप्रति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिरेदन है कि वे उक्त विधार्थित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस ने विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय ख्यां उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह ने निरीक्षण बही कराता है तो समिति ख्यां निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वलप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुंगाज्ज किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थान अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे व्यास महाविद्यालय की वर्तुरियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3मार्च २०१३
कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधार्थित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सविव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RJ
उप. कुलसंचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लम्बत एवं अवश्यक कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि फिरी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उच्चाधिकार विषय पर अधि पूर्व में वज्र
लघुर हुआ हो तो एवं क्रान्तक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



दान : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टर : (0751) 2341766

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सन्बद्धता/2009/ ५१२६

दिनांक: २४/११/११

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध द एकडमी ऑफ नर्सिंग साइंसेज, एण्ड हॉस्पीटल, ग्वालियर (0751-2437080) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बैसिक बी.एस.-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठिता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) डॉ. के.एस. मंगल, आचार्य, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

(3) डॉ. राजेश बघेल, आचार्य, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

(4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घोरहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकलेज तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद के बिर्णानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधार्हित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विधार्हण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम भाष्ट तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक रूपयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / ठी.ए. माजदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

3mp3
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुङ्गा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RJM
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)